आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद - 11/2013

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 11/2013 रामानन्द सिंह, पे0–स्व0 रामप्यारे सिंह, ग्राम पंचायत–तेतारावाद, थाना–गंगौर जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 470 अनु0 आपूर्ति, दिनांक 06.06.2013 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील आवेदन में कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के डी0बी0 नं0 461, आ0, दिनांक 30.05.2013 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा किया गया। जिसका जबाव दिनांक 06.06. 2013 को ससमय समर्पित किया गया। लेकिन बिना कारण के डी0बी0 नं0 470 दिनांक 06.06.2013 को अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि नियमानुसार उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के बिना पढ़े आदेश पारित किया गया जो उचित एवं न्याय संगत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि दिनांक 30.05.2013 को अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान उठाव हेतु गोदाम गए हुए थे, इसलिए दूकान पर उपस्थित नहीं थे। बिक्रेता के विरूद्ध खाद्यान एवं किरासन तेल वितरण की कोई शिकायत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया बिक्रेता के दूकान का विधिवत जांच किए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को प्रतिवेदन समर्पित किया गया और अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा डी0बी0 नं0 470, दिनांक 06.06.2013 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। उनके द्वारा इस अपील को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग करने तथा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को रद्द कर अनुज्ञप्ति को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रंजीत सिंह वार्ड नं0 05 तेतारावाद एवं अन्य के द्वारा श्री रामानंद सिंह जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के विरूद्ध विगत तीन चार माह से राशन और किरासन तेल नहीं देने का उल्लेख करते हुए आवेदन दिया	

गया। साथ हीं उपभोक्ताओं द्वारा अन्त्योदय योजना का कूपन भी दिखाया गया। तदोपरांत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से जांच करायी गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 115, दिनांक 30.05.2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया और जांच प्रतिवेदन में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही बताया गया तथा अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया की जांच में पाये गये अनियमितता पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रामानन्द सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिसमें अंकित किया कि दिनांक 30.05.2013 को खाद्यान प्राप्त करने हेतु बिक्रेता गोदाम गए हुए थे। बिक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में इसके अलावे अन्य बिन्दुओं पर जबाव नहीं दिया गया। बिक्रेता के स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर श्री रामानंद सिंह जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0 20 के0/2007 को रद्द किया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट होता है कि जांच के दौरान उपभोक्ताओं से पूछताछ के क्रम से उपभोक्ताओं द्वारा ब्यान दिया गया कि जन वितरण बिक्रेता श्री रामानंद सिंह द्वारा दो माह से किरासन तेल एवं चार–पॉच माह से खाद्यान नहीं दिया गया तथा निर्धारित मापदंड से कम तौल दिया जाता है तथा निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाता है, जो अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लंघन है।

अपीलार्थी लगतार कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अभिरूचि नहीं है।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है, परन्तु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 470 अनु0 आपूर्ति, दिनांक 06.06.2013 को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।